P-8024
21-313

1-1434-PBR/13

1056

। । श्री । ।

अपील म.प्र. लोकन्यास अधिनियम के अन्तर्गत
==================================

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय ,
म0प्र0राजस्व मंडल ग्वालियर ।

श्रीराम मंगूजी ब्रा. (मृत) वारसगण
1. राधेश्याम पिता श्रीराम ब्रा. निवासी- गोगावां
2. सत्यनारायण पिता श्रीराम ब्रा. निवासी-गोगावां ।
3. सुभाष पिता श्रीराम ब्रा. निवासी- गोगावां ।
4. विजय पिता श्रीराम ब्रा. निवासी-गोगावां ।
5. श्रीमति कृष्णाबाई पिता श्रीराम निवासी- मोहम्मदपुर ।
6. श्रीमति चन्द्रकला पिता श्रीराम निवासी- बड़वानी । --- अपीलांटगण

विरूद्ध

1. श्री भगवान श्रीराम मंदीर एवं जगदम्बामाता मंदीर ट्रस्ट गोगावां तर्फे अध्यक्ष ।
2. म0प्र0शासन तर्फे कलेक्टर खरगोन ।
3. तहसीलदार महोदय ,गोगावां जिला-खरगोन । --- रिस्पा0

दावा : म0प्र0 लोकन्यास अधिनियम की धारा 4(4) के अधीन दिया गया पंजीयक खरगोन एवं अनुविभागीय खरगोन का आदेश निरस्त करने बाबद ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक A 1434—पीबीआर / 2013 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22—5—2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, खरगोन के आदेश दिनांक 23—11—1983 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से यह अपील म0 प्र0 लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 (4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । अधिनियम की धारा 4 (4) में अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । धारा 5 (4) में अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । धारा 5 (4) के तहत धारा 4 (4) के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4 (2) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः इस अपील के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	